रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 426] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 11, 1973/अग्रहायण 20, 1895
No. 426] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 11, 1973/AGRAHAYANA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th December 1973

S.O. 767(E).—Whereas a vacancy has occuered in the House of the People by reason of the death of Shri Dajisaheb Ramrao, Chavan, a member elected to that House from 42-Karad parliamentary constituency in the State of Maharashtra;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect a person to fill the said vacancy before 19 January, 1974, in accordance with the provisions of the said Act and of the Rules and Orders made thereunder.

[No. 100/MT-HP/4/73(1)]

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 1973

एस० ओ० 767 (अ).—यत: महाराष्ट्र राज्य के 42-कराड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री दाजी साहिब रामराव चह्वान की मृत्यु हो जाने के कारण उस सदन में एक स्थान रिक्त हो गया है ;

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन क्षेत्र से एतद्द्वारा यह अपेक्षा करता है कि वह ऐसे हुई रिक्ति को भरने के लिए 19 जनवरी, 1974 से पूर्व, उक्त अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें।

[सं० 100/महा० लो० स०-4/73(1)]

S.O. 768(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to the bye-election to be held in 42-Karad parliamentary constituency in the State of Maharashtra in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/4/73(1) dated 11 December, 1973,—

(a) 18 December, 1973 (Tuesday) as the last date for making nominations;

(b) 19 December, 1973 (Wednesday) as the date for the scrutiny of nominations;

(c) 21 December, 1973 (Friday) as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) 13 January, 1974 (Sunday) as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) 19 January, 1974 (Saturday) as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/MT-HP/4/73(2).]

एस० ओ० 768(अ).— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/महा०-लो० स०/4/73 (1), तारीख 11 दिसम्बर, 1973 के अनुसरण में महाराष्ट्र राज्य में 42–कराड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में :—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख	18 दिसम्बर, 1973 (मंगलवार)
(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	19 दिसम्बर, 1973 (बुधवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख	21 दिसम्बर, 1973 (शुक्रवार)
(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो तो मतदान होगा	13 जनवरी, 1974 (रविवार) तथा
(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा	19 जनवरी, 1974 (शनिवार)

एतद्द्वारा नियत करता है।

[सं० 100/महा०-लो०स०/4/73(2)]

S.O. 769(E).—In pursuance of section 56 of the representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes the hours from 8.00 a.m. to 5.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the bye-election to the House of the People from 42-Karad parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/MT-HP/4/73(1), dated 11 December, 1973.

[No. 100/MT-HP/4/73(3).]

By order,

V. NAGASUBRAMANIAN, Secy.

एस० ओ० 769(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/ महा०–लो०स०/4/73(1), तारीख 11 दिसम्बर, 1973 के अनुसरण में 42–कराड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उप-निर्वाचन के लिए 8 बजे पूर्वाह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्द्वारा नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/महा०–लो० स०/4/73 (3)]

आदेश से,

वी० नागसुब्रमण्यन, सचिव।

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ERRATUM

In the Election Commission of India Notification No. 100/CS-UP/1/73(4) published as S.O. 702(E) at page No. 2071 in the Gazette of India Extraordinary, Part II—Section 3—Sub-section (ii), dated the 20th November, 1973, *for* "V. NAGASUBRAMANIAM, Secy." *read* "A. N. SEN, Secy.".

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973